न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या–163 / 2025
जीसीएमएस सख्या – 2025 / 455

अपीलान्टस :–

1. किशनाराम पुत्र प्रहलादराम, उम्र 62 वर्ष
2. कुनाराम पुत्र जुगताराम, उम्र 65 वर्ष
3. कुसुम्बी देवी पत्नी स्वरूपाराम, उम्र 55 वर्ष
4. खियाराम पुत्र प्रहलादराम, उम्र 70 वर्ष
5. तुलसाराम पुत्र स्वरूपाराम, उम्र 55 वर्ष
6. देवाराम पुत्र अर्जुनराम, उम्र 23 वर्ष
7. नारायणराम पुत्र अर्जुनराम, उम्र 37 वर्ष
8. पूनाराम पुत्र प्रहलादराम, उम्र 49 वर्ष
9. पूनीदेवी पत्नी जुगताराम, उम्र 70 वर्ष
10. पेपाराम पुत्र अर्जुनराम, उम्र 29 वर्ष
11. प्रेमाराम पुत्र जुगताराम, उम्र 65 वर्ष
12. प्रभुराम पुत्र अर्जुनराम, उम्र 45 वर्ष
13. बाबुराम पुत्र बस्ताराम, उम्र 64 वर्ष
14. बालीदेवी पत्नी प्रहलादराम, उम्र 85 वर्ष
15. मांगीलाल पुत्र बस्तीराम, उम्र 79 वर्ष
16. मधुदेवी पत्नी अर्जुनराम, उम्र 56 वर्ष
17. रूपाराम पुत्र बस्ताराम, उम्र 56 वर्ष
18. हुकमाराम पुत्र जुगताराम, उम्र 61 वर्ष
19. हापाराम पुत्र जुगताराम, उम्र 65 वर्ष,
20. विरमाराम पुत्र अर्जुनराम, उम्र 56 वर्ष

निवासीगणः–कुम्भारों की ढाणी, ग्राम हिंगलाज नगर बिराई, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स :–

1. चैनाराम पुत्र प्रहलादराम, उम्र 52 वर्ष

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

2. ढली पुत्री अर्जुनराम, उम्र 56 वर्ष
3. सेठाराम पुत्र जुगताराम, उम्र 36 वर्ष
4. केवलराम पुत्र बस्ताराम
5. हुकमाराम पुत्र बस्ताराम
6. ओमाराम पुत्र प्रहलादराम सभी जातियान कुम्हार कुम्भारो की ढाणी ग्राम हिंगलाज नगर बिराई तहसील बालेसर जिला जोधपुर।
7. सचिव ग्राम पंचायत बिराई, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
8. तहसीलदार बालेसर, जिला जोधपुर ।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश क्रमांक प्र.ग्रा.सं /2021/369 दिनांक 29.11.2021 न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार (भु. अभिलेख), बालेसर विभाजन आदेश के विरूद्ध ।

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री गिरधर सिंह भाटी (अपीलांट्स की ओर से)
2. अधिवक्ता श्री बरकत अली, ओकार सिंह (प्रत्यर्थीगण सं. 4,5 तक की ओर से)
3. अधिवक्ता श्री सुबोध जांगिड़ (प्रत्यर्थीगण सं. 1,6 तक की ओर से)
4. शेष रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित

अपर कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम) जोधपुर

निर्णय **दिनांक : 23.04.2026**

1. यह अपील राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत, तहसीलदार, बालेसर (जोधपुर) द्वारा, ग्राम हिंगलाज नगर पटवार मंडल बिराई, तहसीलदार बालेसर, जिला जोधपुर के ख.न. 748, 748/1, 749, 750 कुल रकबा–114.09 बीघा की आराजी का धारा 53(1) के तहत आपसी सहमति पर पारित विभाजन आदेश दिनांक 29.11.2021 को अपास्त करने हेतु इस न्यायालय में दिनांक 16.10.2025 को प्रस्तुत की गई है।
2. प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किए गए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया प्रत्यर्थी सं 4 एवं 5 की ओर से श्री बरकत अली अधिवक्ता ने प्रत्यर्थी सं 1 एवं 6 की ओर से श्री सुबोध जांगिड़ अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। प्रत्यर्थी सं 2 ढली ने नोटिस लेने से इन्कार किया है तथा इन्कार का नोट–लिफाफा पर पोस्टमेन द्वारा अंकित किया है, जिसे पर्याप्त तामिल माना जाता है। प्रत्यर्थी सं 1 से 8 तक की डाक रसीद मय ट्रेक रिपोर्ट पेश की है, जिसके अनुसार समस्त प्रत्यर्थीगण पर नोटिस तामिल हो चुके है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

3. अपील मीमों में अंकित अभिवचनों अनुसार, अपील प्रकरण के संक्षिप्त एवं सारवान तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट्स एवं प्रत्यर्थीगण की सामलाती खातेदारी की कृषि भूमि वाकै ग्राम हिंगलाज नगर पटवार मण्डल बिराई में ख.न. 749, 748/10, 748/20, 748/24, 748/25, 748/3, 748/31, 748/9, 750/5, 748/16, 748/2, 748/26, 748/27, 748/30, 748/7, 748/8, 750/4 आई हुई है।

उक्त आराजी का आपसी सहमति से बंटवाडा हेतु प्रार्थना पत्र तहसीलदार बालेसर को पेश किया, जिस पर मौके के अनुसार, तरमीम का आदेश पारित नही किया। पटवारी एवं तहसीलदार ने मौके पर आकर, कब्जे काश्त, निर्मित मकान व आवासीय ढ़ाणियों के अनुसार रास्ता देने हेतु प्रस्ताव तैयार नहीं किया जिसके कारण बंटवाड़ा सही नही होकर एक दूसरे की ढ़ाणियां अलग–अलग खातेदार के तरमीम में आ गई तथा कई मकान छोडे गए रास्ते में आ आए। सरकारी स्कूल भी रास्ते की तरमीम में आ गए। बंटवाडा मिट्स एवं बाउण्ड्स के आधार पर नहीं किया गया है। सभी काश्तकार बंटवारा की तरमीम– मौके पर कब्जे के अनुसार तथा मौके पर चालू रास्ते अनुसार तरमीम करवाना चाहते है। रास्ता गलत जगह तरमीम किया गया है। अतः बंटवारा निरस्त करके पुनः मौके की स्थिति अनुसार किया जावे।

4. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस अपील पर सुनी गई ।

5. सर्वप्रथम अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन करने हेतु अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना है।

(A) अपीलांट्स ने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि हाल ही में रास्ते की तरमीम हेतु पटवारी हल्का बिराई ने मौके पर आकर रास्ते की जमीन हेतु पैमाईश करने पर, विवाग्रस्त बंटवारा व तरमीम सही नहीं होने का पता चला। अपीलांट्स ने आदेश की प्रति लेकर अपील पेश की है जानबूझकर देरी नही की है तथा न ही अनुचित लाभ हेतु देरी से अपील पेश की है। अतः देरी को माफ किया जावे। प्रा. पत्र के समर्थन में शपथ पत्र पेश किया है।

(B) प्रत्यर्थी– संख्या 4 एवं 5 ने उक्त प्रार्थना पत्र का लिखित जबाव मय शपथ पत्र पेश कर कथन किया है कि प्रार्थना पत्र में अंकन तथ्य मिथ्या, मिश्रीत,आधारहीन मनगढ़ंत होने से अस्वीकार है। अपीलाधीन बंटवारा सभी सहखातेदारों की आपसी सहमति से मुद्रांको पर हुआ है तथा पंजीबद्ध है। पटवारी व तहसीलदार ने मौके पर काबिज अनुसार तथा प्रत्येक के हिस्से अनुसार दिनांक 29.11.2021 को बंटवारा स्वीकृत

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

किया है। इस प्रकार जानकारी होते हुए भी 4 वर्ष की देरी से अपील पेश की हैं। अपीलांट्स द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में SBCWP NO. 16534/2025 किशनाराम वगैरा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान प्रस्तुत कर रखी है। एक ही विवाद बिन्दु पर दो अलग–अलग न्यायालयों में एक साथ चुनौती नही दी जा सकती।

प्रार्थना पत्र में अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी होने की तारीख नही लिखी है। देरी का कोई युक्ति युक्त कारण नही बताया है। बंटवारा आदेश की जानकारी अपीलांट्स को शुरू से ही थी। अपीलांट्स द्वारा रास्ते की भूमि को अवरोध करने की नियत से रास्ते की भूमि पर अवैध निर्माण करने तथा प्रत्यर्थीगण के आवागमन में बाधा उत्पन्न करने की नियत से जानबुझकर तंग व परेशान करने के उद्देश्य से यह अपील पेश की है, जो स्पष्टतः मियाद बाहर है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर, अपील भी अस्वीकार की जावे।

(C) प्रत्यर्थी गण–4 व 5 की ओर से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर से खारिज वाद स. 17/2017, 16/17 आदेशिका की फोटो प्रतियां, माननीय राज. उच्च न्यायालय में लम्बित SBCWP NO. 16534/2025 में पारित आदेश दिनांक 06.04.2026 की प्रति, रिट याचिका की फोटो प्रतियां भी पेश की है। बालेसर तिवंरी रोड से खेतानियों की ढाणी ग्रेवल सड़क की प्रस्ताव दिनांक 1.04.2024 के स्टेटमेन्ट फोटो प्रति भी पेश की है।

(D) अपीलांट ने माननीय उच्च न्यायालय में अपीलाधीन बंटवारा को लेकर एक SBCWP NO. 16534/2025 दिनांक 22.08.2025 को पेश की है। जिसमें एनेक्सर–6 दिनांक 23.07.2025 रोड़ निर्माण कार्य को रोकने बाबत ज्ञापन है। अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.11.2021 की पालना में दर्ज नामा. स. 197 की प्रमाणित प्रति–पटवारी हल्का बिराई से दिनांक 24.07.2025 को क्रमांक 2806 से प्राप्त की है। इस प्रकार अपीलांट्स को अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.11.2021 की जानकारी हालांकि दिनांक 29.11.2021 को शुरूआत से ही थी, क्योकि आदेश अपीलांट्स की उपस्थिति में एवं सहमति से पारित किया गया है। इसके अतिरिक्त दिनांक 24.07.2025 को पटवारी से नामान्तरकरण की नकल से तथा दिनांक 23.07.2025 को विकास अधिकारी को सौपे गए ज्ञापन से हो चुकी थी। इसके अतिरिक्त अपीलांट ने दिनांक 22.08.2025 को माननीय उच्च न्यायालय में SBCWP NO. 16534/2025 में दिनांक 22.08.2025 को अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.11.2021 को एनेक्सर 5 के रूप से सलग्न

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

किया है। निर्विवादित रूप से यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 16.10.2025 को पेश की गई है। अपीलांट ने धारा–5 के प्रार्थना पत्र में पटवारी से जानकारी की तारीख का अंकन ही नही किया है तथा न ही नकल प्राप्त की तिथि का अंकन किया है। प्रार्थना पत्र में देरी के अंकित कारण बहुत साधारण किस्म के काल्पनिक कारण अंकित किए है, जो इस न्यायालय की राय में अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन करने हेतु पर्याप्त कारण नही है।

(E) हस्तगत प्रकरण में अगर उदार दृष्टिकोण अपनाया जावे तो भी पटवारी से नामान्तरकरण की नकल लेने की तारीख दिनांक 24.07.2025 रिट पेश करने की तारीख 22.08.2025, ज्ञापन की तारीख 23.07.2025 से भी गणना करने पर अपील पेश करने हेतु निर्धारित मियाद एक माह की अवधि से बहुत बाद में 16.10.2025 को पेश की गई है। जानकारी की तिथि 23.07.2025 से 16.10.2025 तक की अवधि की देरी का कोई स्पष्ट एवं ठोस कारण प्रार्थना पत्र में अंकित नही किया है।

(F) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन करने हेतु, समय–समय पर विभिन्न न्यायिक विनिश्चयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों की समीक्षा करते हुए। (i) Shivamma (dead) by LRs v/s Karnataka Housing Board, civil Appeal no. 11794/2025 में पारित निर्णय दिनांक 12.09.2025 में निम्न सिद्धान्त दिया है– Section 5 limitation Act- Delay of entire period from the start of limitation till actual filing date must be explained e.g. if the period of limitation is 90 days and the appeal's filed belatedly on 100th day, then explanation has to be given for the entire 100 days.

(ii) Pathapatti Subba Reddy (dead) by LRS v. Special Deputy Collector (LA) (2024 SCC-online sc-513) के पैरा–26 (vii) इस प्रकार है– Merits of the case are not required to be considered in condoning the delay;

(iii)Shankargir v/s state of M.P. C.A. 14613/2025, में पारित निर्णय दिनांक 15.02.2025 में भी उक्त Shivamma case में प्रतिपादित सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में निम्न व्यवस्था दी है– "There has to be a sufficient cause for the entirety of the period from when limitation began till the actual date of filing"

(G) इस प्रकार हस्तगत प्रकरण का उक्त न्यायिक विनिश्चयों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण करने पर पाया जाता है कि अपीलाधीन आदेश अपीलाट्स की मौजूदगी में दिनांक 29.11.2021 को पारित किया गया है तथा इसके अतिरिक्त पटवारी से दिनांक 24.07.

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

2025 को नामान्तरकरण की नकल भी ली है तथा 22.08.2025 को माननीय हाईकोर्ट में रिट याचिका में आदेश की प्रति भी पेश की है फिर भी अपील दिनांक 16.10.2025 को पेश की गई है, जबकि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश की अपील पेश करने की समय सीमा 30(तीस) दिन ही है। अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन करने के जो कारण प्रार्थना पत्र में अंकित किए है, वे इस न्यायालय की सुविचारित राय में अपर्याप्त है तथा अपीलांट्स अपील पेश करने में घोर लापरवाह एवं निष्क्रिय रहे है। अतः अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है । फलस्वरूप धारा–5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। फलस्वरूप अपील मियाद बहार पेश होने के कारण विचारण हेतु स्वीकार्य नहीं है। अतः अपील को भी उक्त कारण से खारिज किया जाता है।

6. उक्त के अतिरिक्त यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 16.10.2025 को पेश करने से पूर्व ही अपीलांट्स ने एक SBCWP NO. 16534/2025 में दिनांक 22.08.2025 को माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में पेश कर दी थी, जिसकी प्रति प्रत्यर्थीगण 4 व 5 ने इस न्यायालय में दिनांक 15.04.2026 को पेश की है, रिट याचिका के पैरा स. 7 व 8 ग्राउण्ड संख्या B, C, D मे अपीलाधीन विभाजन आदेश में बरती गई अनियमितताओं का भी जिक्र किया गया है। उक्त रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय में पहले से ही विचाराधीन है, जिसकी विषय वस्तु भी हस्तगत अपील की विषय वस्तु के समान होने से इस न्यायालय को इस अपील पर विचारण करने से दूर रहना चाहिए ताकि दोहरा आदेश पारित होने की संभावना से बचा जा सके। अपीलांट ने उच्च न्यायालय में रिट विचाराधीन होने के तथ्य को इस न्यायालय से छुपाया है तथा अपीलांट स्वच्छ हाथों से इस न्यायालय में नहीं आया है।

आदेश

7. परिणामस्वरूप–उपर्युक्त विवेचना एवं निष्कर्षानुसार अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार की जाती है।
8. निर्णय की प्रति के साथ– मूल अभिलेख तहसीलदार बालेसर को लौटाया जावे। प्रकरण में लम्बित स्थगन प्रार्थना पत्र भी खारिज किया जाता है ।
9. प्रकरण में दिनांक 17.10.2025 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश खारिज (Vacate) किया जाता है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

10. प्रकरण में लम्बित अन्य प्रार्थना पत्र (यदि कोई हो तो) का भी एतद्द्वारा निस्तारण किया जाता है।

11. पत्रावली बाद तामिल व तकमील फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नम्बर से कम हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

यह निर्णय आज दिनांक 23.04.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर